गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की दसवीं बैठक दिनांक 23.11.2015 के कार्यवृत्त

विद्यापरिषद् की दसवीं बैठक दिनांक 23.11.2015 को विश्वविद्यालय के सभागार में माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो. अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
3.	प्रो. जे.एस.दांगी	सदस्य
4.	प्रो. प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
5.	प्रो. जी.के. पात्रा	सदस्य
6.	प्रो. व्ही. एस. राठौर	सदस्य
7.	प्रो. एल.पी. पटैरिया	सदस्य
8.	प्रो. एम.के. सिंह	सदस्य
9.	प्रो. बी.एन तिवारी	सदस्य
10	प्रो ए.के. सक्सेना	सदस्य
11.	डॉ. रश्मि अग्रवाल	सदस्य
12.	प्रो. पी के बाजपेयी	सदस्य
13.	डॉ. भास्कर मुखर्जी	सदस्य
14.	डॉ. गोपा बागची	सदस्य
15.	प्रो. व्ही डी रंगारी	सदस्य
16.	प्रो. मनीषा दुबे	सदस्य
17	डॉ. सी एस वजलवार	सदस्य
18	प्रो. अनुपमा सक्सेना	सदस्य
19.	डॉ. सीमा राय	सदस्य
20.	डॉ. राजेश भूषण	सदस्य
21.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
22.	प्रो. हरिश कुमार	सदस्य
23.	प्रो. एस. एन शाहा	सदस्य
24.	प्रो. एस एस सिंह	सदस्य
25.	डॉ. पी पी मूर्ति	सदस्य
26.	डॉ. एस एस धूरिया	सदस्य
27.	डॉ. नीलकांत पाणिगृही	सदस्य
28.	डॉ. एस एच बोडखे	सदस्य
29.	डॉ. चकधर मिसला	सदस्य
30.	डॉ. घनश्याम दुबे	सदस्य
31.	डॉ. राकेश पाण्डेय	सदस्य
32.	डॉ. बॉबी ब्रम्हे पाण्डेय	सदस्य
33.	कु. शालिनी मेनन	सदस्य
34.	श्री निशांत बेहार	सदस्य
35.	डॉ. यू एन सिंह	सदस्य
36.	अधिष्ठाता, छात्रकल्याण	सदस्य
37.	डॉ. अश्विनी दीक्षित	सदस्य
38.	प्रो. मनीष श्रीवास्तव	सचिव

बैठक के प्रारंभ में कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद् ने नवगठित विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास में विद्यापरिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की एवं सदस्यों से आवाहन किया कि इस दिशा में वे महत्वपूर्ण सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। उपस्थित सदस्यों ने भी माननीय कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद् को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास में सतत् सहयोग करने एवं इस दिशा में अपनी भूमिका के प्रति आश्वस्त किया।

विषय वस्तु पर विधिवत चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदया ने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि विद्यापरिषद् की गरिमा के अनुरुप ही माननीय सदस्य अपने सुझाव रखें एवं विषय वस्तु पर ही चर्चा करें।

विषय क्र.-01 **विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 28.01.2014 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 28.01.2014 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की जाये।

विषय क्र.-02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.03.2014, 31.03.2014, 15.04.14, 19.04.14, 09.07.14, 26.08.14, 23.02.15, 09.03,15, 23.03.15, 20.04.15, 24.04.15, 25.06.15 एवं 27.08.15 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.03.2014, 31.03.2014, 15.04.14, 19.04.14, 09.07.14, 26.08.14, 09.03.15, 23.03.15, 20.04.15, 24.04.15, 25.06.15 एवं 27.08.15 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया जाये।

बैठक दिनांक 23.02.2015 के विषय क्रमांक-29 के अंतर्गत शिक्षण विभाग में कार्यरत् शिक्षकों को पीएच.डी. की अग्रिम वेतनवृद्धि की स्वीकृति हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए गठित पुनरावलोकन समिति को वर्तमान परिपेक्ष्य में पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लेते हुए अन्य प्रकरणों पर लिये गये निर्णय का अनुमोदन किया गया।

बैठक के दौरान सदस्य प्रो. हरीश कुमार द्वारा स्थायी समिति की दिनांक 19.04.2014 की बैठक के विषय क्रमांक-2 के अंतर्गत लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जानकारियों की मांग की गई।

निर्णय लिया गया कि वांछित जानकारी सदस्य प्रो. हरीश कुमार को उपलब्ध करायी जाये।

विषय क्र.-03 **कार्यपरिषद् की स्थायी समिति एवं विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 20.12.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।**

कार्यपरिषद् की स्थायी समिति एवं विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 20.12.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाये।

विषय क्र.-04. **सत्र 2013-14 के प्री-पीएच.डी. कोर्स में प्रवेशित पूर्णकालिक शोध छात्र- (1) सुमित कुमार शुक्ला, (2) अखिलेश यादव तथा (3) अशोक कुमार चौधरी के शोध पंजीयन की पात्रता विषयक।**

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तीनों शोध छात्रों के शोध पंजीयन की पात्रता के निर्धारण हेतु प्रकरण नियमानुसार विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्र.-05. सुश्री मंगला देवरस (प्राणीशास्त्र) एवं श्री दीपक तिवारी (रसायनशास्त्र) का पीएच.डी. शोध पंजीयन निरस्तीकरण संबंधी।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दोनों शोधार्थियों के पंजीयन नियमानुसार निरस्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाये।

विषय क्र.-06. शोध अध्यादेश में संशोधन के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि शोध अध्यादेश में प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार आवश्यक संशोधन/समावेश संबंधी सुझाव प्राप्त करने के लिए इस प्रकरण को त्रिसदस्यीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि समिति के गठन हेतु अध्यक्ष, विद्यापरिषद् को अधिकृत किया जाता है।

विषय क्र.-07. VRET श्रेणी के तहत पीएच.डी. में प्रवेश दिये जाने के संबंध में छात्रों द्वारा प्रेषित पत्र।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि दिनांक 15.09.15 को आयोजित विभिन्न अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं की बैठक की अनुशंसा अनुसार तथा उक्त अनुशंसा अनुसार जारी की गई सरकुलर क्र. 392/अका/2015 दिनांक 18.09.15 के अनुसार कार्यवाही की जाये।

समिति के सदस्य प्रो. एस एन साहा द्वारा विद्यापरिषद् की कार्यसूची के विषय क्र. 07 के कंडिका 2 के अंत में कुल व्यय रूप. 708.84 करोड़ टंकित है हो वस्तुतः 708.84 लाख में होना चाहिए के संबंध में ध्यानाकर्षित किया जिसे स्वीकार करते हुए आवश्यक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र.-08. शोधार्थी श्रीमती उज्वला अम्बस्थ को संशोधित शोध ग्रंथ जमा करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने संबंधी।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि शोधार्थी श्रीमती उज्वला अम्बस्थ के आवेदन दिनांक 26.08.2015 को मान्य करते हुए निर्धारित अवधि के पश्चात् संशोधित शोध ग्रंथ प्रस्तुत करने हेतु 10 दिवस का अतिरिक्त समय प्रदान किया जावे।

विषय क्र.-09. शोधार्थी-श्रीमती अमृता बोहरा (शिक्षा विभाग) के प्रसूति/चिकित्सा अवकाश स्वीकृति के संबंध में विचार।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि बैठक तिथि की अवधि में, शोध अध्यादेश /नियम के अनुसार शोधार्थी-श्रीमती अमृता बोहरा (शिक्षा विभाग) के प्रसूति/चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जावे।

विषय क्र.-10. शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग में BSR योजना के अंतर्गत 05 शोध छात्रवृत्तियों के विरूद्ध सत्र 2015-16 की शोध प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदाय करने बाबत्।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग में BSR योजना के अंतर्गत 05 शोध छात्रवृत्तियों के विरूद्ध सत्र 2015-16 की शोध प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार कोर्स वर्क

उत्तीर्ण करने के पश्चात शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने संबंधी कार्यवाही की जाये।

विषय क्र.–11. **कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सत्र 2015–16 में VRET के तहत विज्ञापित सीट को VRET Exempted में परिवर्तित करने पर विचार।**

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा VRET श्रेणी के तहत विज्ञापित सीट को केवल विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों के लिए VRET Exempted सीट मान्य किया जाये।

विषय क्र.–12. **त्रिवेणी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साईंसेस हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, बोदरी, जिला–बिलासपुर द्वारा ,सत्र 2015–16 के लिये बी.डी.एस. पाठ्यक्रम चतुर्थ वर्ष की अस्थायी संबद्धता अवधि में वृद्धि किये जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर विचार।**

विद्यापरिषद् द्वारा त्रिवेणी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साईंसेस हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, बोदरी, के अस्थायी सम्बद्धता की अवधि में वृद्धि किये जाने संबंधी आवेदन पर विचार किया गया।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि सम्बद्धता की अवधि में वृद्धि किये जाने संबंधी पूर्ववर्ती राज्य विश्वविद्यालय के परिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

विषय क्र.–13. **सी.एल. चौकसे मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, बिलासपुर द्वारा सत्र 2014–15 एवं 2015–16 के लिये बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम चतुर्थ वर्ष की अस्थायी संबद्धता अवधि में वृद्धि किये जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर विचार।**

विद्यापरिषद् द्वारा सी.एल. चौकसे मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, बिलासपुर के अस्थायी सम्बद्धता की अवधि में वृद्धि किये जाने संबंधी आवेदन पर विचार किया गया।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि सम्बद्धता की अवधि में वृद्धि किये जाने संबंधी पूर्ववर्ती राज्य विश्वविद्यालय के परिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

विषय क्र.–14. **छ.ग. आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की संबंद्धता के संबंध में विचार।**

विद्यापरिषद् द्वारा छ.ग. आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अस्थायी सम्बद्धता की अवधि में वृद्धि किये जाने संबंधी आवेदन पर विचार किया गया।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि सम्बद्धता की अवधि में वृद्धि किये जाने संबंधी पूर्ववर्ती राज्य विश्वविद्यालय के परिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

विषय क्र.–15. **न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर सकरी, जिला–बिलासपुर द्वारा सत्र 2015–16 के लिये बी.डी.एस. पाठ्यक्रम चतुर्थ वर्ष की अस्थायी संबद्धता अवधि में वृद्धि किये जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर विचार।**

विद्यापरिषद् द्वारा न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर सकरी, जिला-बिलासपुर के अस्थायी सम्बद्धता की अवधि में वृद्धि किये जाने संबंधी आवेदन पर विचार किया गया।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि सम्बद्धता की अवधि में वृद्धि किये जाने संबंधी पूर्ववर्ती राज्य विश्वविद्यालय के परिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

विषय क्र.-16. **बी.टेक प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम हेतु सीबीसीएस पद्धति से निर्मित पाठ्यक्रम योजना सिलेबस एवं अध्यादेश का सत्र 2015-16 के लिए विचार।**

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2015-16 से लागू किये जाने हेतु अध्ययनशाला इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी के अंतर्गत शिक्षकों की गठित समिति द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विभागों /पाठ्यक्रमों में सीबीसीएस पद्धति अनुसार पाठ्य विवरण, अंक योजना एवं अध्यादेश को मान्य किया जाये। (परिशिष्ट -1)

विषय क्र.-17. **विश्वविद्यालय के समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों में एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) को Credit Based Elective Subject के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार करना।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क. F.1-7/2011 (CPR-11) दिनांक 13.08.15 में एनएसएस को चयनीत विषय के रूप में विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में समावेश किये जाने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांतः लागू किये जाने हेतु विद्यापरिषद् द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

यह भी निर्णय लिया गया कि एनएसएस को चयनीत विषय के रूप में पाठ्यक्रमों में समावेश के लिए प्रकरण संबंधी अध्ययन मंण्डलों के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्र.-18. **शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु प्रचलित पाठ्य विवरणों के अनुमोदन पर विचार करना।**

विद्यापरिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु सीबीसीएस प्रणाली अनुसार क्रमशः वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, शिक्षाशास्त्र, विधि, संगणक विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, इंजीनियरिंग के समस्त विभागों (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर), राजनीति विज्ञान, गणित, प्राणीशास्त्र एवं जैव प्रौद्योगिकी विभागों के अध्ययन मण्डल द्वारा पाठ्य विवरण के निर्धारण संबंधी की गई अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.-19. **शैक्षणिक सत्र 2015-16 में शोधार्थियों को नॉन नेट फेलोशिप स्वीकृत किये जाने के संदर्भ में दिनांक 15.09.2015 को आयोजित विभिन्न अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं की बैठक कार्यवृत्त तथा सर्कुलर क्रमांक 392/अका/ 2015 दिनांक 18.09.2015 के अनुमोदन पर विचार करना।**

विचारोपरांत अध्ययनशालाओं की अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 15.09.15 में की गई अनुशंसाओं तथा उक्त अनुशंसा अनुसार जारी की गई सर्कुलर क्रमांक 392/अका/ 2015 दिनांक 18.09.2015 को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र.-20. मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (रिसर्च द्वारा) के उपाधि प्रमाण पत्र प्रारूप के अनुमोदन पर विचार करना।

विचारोपरांत मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (रिसर्च द्वारा) के उपाधि प्रमाण पत्र हेतु अधिष्ठाता, यांत्रिकी एवं तकनीकी अध्ययनशाला द्वारा प्रस्तावित प्रारूप (परिशिष्ट -2) को अनुमोदित किया गया।

विषय क्र.-21. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित डिग्रियों की नामावली के अनुसार डिग्री प्रदान किये जाने के संबंध में प्राप्त पत्र पर विचार हेतु।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित उपाधियों की नामावली अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान किया जा रहा है अथवा नहीं, की समीक्षा अध्ययनशालाओं के वरिष्ठतम अधिष्ठाता की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें परीक्षा नियंत्रक सदस्य तथा सहायक कुलसचिव अकादमिक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी होंगे, से प्रतिवेदन प्राप्त कर विद्यापरिषद् के अध्यक्ष के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि समिति के अध्यक्ष के नामांकन तथा समिति के प्रतिवेदन को मान्य किये जाने हेतु विद्यापरिषद् द्वारा अध्यक्ष विद्यापरिषद् को अधिकृत किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अद्यतन की स्थिति में उनके द्वारा प्रकाशित उपाधियों के नामावली की जानकारी प्राप्त की जाये।

विषय क्र.-22. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 के विषय क्रमांक-03 अ.अ. में लिये गये निर्णय पर विचार।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष पुस्तकालय एवं सूचना विभाग द्वारा प्रस्तुत 2 वर्षीय इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रारंभ किये जाने संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु प्रकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित की जाये।

विषय क्र.-23. फार्मेसी विभाग के अंतर्गत संचालित एम.फार्म की फीस अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भांति एम.टेक पाठ्यक्रमों के समान करने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव को शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

समिति के प्रस्ताव को अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जाये।

विषय क्र.-24. विश्वविद्यालय में हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के संबंध में यूजीसी से प्राप्त पत्र पर विचार।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21.01.2013 का कार्यवृत्त प्राप्त कर अध्यक्ष विद्यापरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्र.-25. स्कूल ऑफ फार्मासयूटिकल साइंसेस को 10वां पृथक अध्ययनशाला स्थापित करने एवं अधिष्ठता की नियुक्ति पर विचार।

विश्वविद्यालय में पृथक से नवीन "स्कूल ऑफ फार्मास्यूटकल साइंसेस" अध्ययनशाला स्थापित किये जाने के मापदंड, उक्त स्कूल के अंतर्गत किन-किन

विभागों /विषयों का समावेश किया जाना है आदि के निर्धारण हेतु प्रकरण अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। प्राप्त अनुशंसाओं के अनुमोदन हेतु अध्यक्ष, विद्यापरिषद् को अधिकृत किया जाता है।

विषय क्र.-26. **पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (05 वर्षीय एकीकृत स्नातक स्तर/स्नातकोत्तर स्तर) पाठ्यक्रम के संबंध में।**

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष पुस्तकालय एवं सूचना विभाग द्वारा प्रस्तुत 5 वर्षीय एकीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु प्रकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित की जाये।

विषय क्र.-27. **शैक्षणिक संस्थानों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिये सीटों का आरक्षण के संबंध में विचार।**

प्रकरण अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। प्राप्त अनुशंसाओं के अनुमोदन हेतु अध्यक्ष, विद्यापरिषद् को अधिकृत किया जाता है।

विषय क्र.-28. **प्रो0 एस.एन. साहा, आचार्य के द्वारा अध्ययनशाला इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी के अंतर्गत डीन की नियुक्ति तथा डायरेक्टर (आई.टी.) हेतु नियुक्त के संबंध में प्रस्तुत पत्र पर विचार।**

प्रस्तुत प्रकरण पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक पद की मौजूदा स्थिति की समीक्षा अध्यक्ष विद्यापरिषद् द्वारा गठित समिति से कराया जाये।

उक्त समिति निदेशक पद की स्थापना, वैधानिकता, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल आदि के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। समिति के प्रतिवेदन को विद्यापरिषद् की ओर से मान्य किये जाने हेतु अध्यक्ष विद्यापरिषद् को अधिकृत किया जाता।

उक्त प्रकरण पर चर्चा के दौरान विद्यापरिषद् के सदस्य प्रो. शैलेन्द्र कुमार द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि, विद्यापरिषद के एक अन्य सदस्य प्रो. एस एन साहा द्वारा उनके आचार्य के पद पर की गई नियुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. में वाद दायर किया गया है जिस पर निर्णय माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जबकि प्रो. साहा द्वारा प्रो. शैलेन्द्र कुमार की नियुक्ति अवैधानिक होने की शिकायत पत्राचार द्वारा करते रहते है। जिसके फलस्वरूप प्रो. शैलेन्द्र कुमार की छवि व प्रतिष्ठा पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है।

उक्त तथ्यों के प्रकाश में विद्यापरिषद् द्वारा प्रो. साहा से यह अपेक्षा की गई कि भविष्य में उनके द्वारा किये जाने वाले पत्राचार में ऐसे किसी भी प्रकार के शब्दों का उपयोग न करें जिससे किसी सम्माननीय सदस्य के भावनाओं को ठेस पहुचे।

विषय क्र.-29. बी.कॉम/एम.कॉम पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्राओं द्वारा दिनांक 15.10.2015 से 16.10.2015 तक् आयोजित आंतरिक परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालयीन बास्केटबॉल प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की अनुमति देते हुए द्वितीय आंतरिक परीक्षा का आयोजन पश्चात् किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.10.2015 पर विचार करना।

विचारोपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए कृत कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य की रूपरेखा निर्धारित किये जाने हेतु प्रकरण इस हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्र.-30. **सत्र 2015-16 से बी.टेक प्रथम वर्ष (I/II सेमेस्टर) हेतु अकादमिक कैलेण्डर में परिवर्तन/संशोधन संबंधी प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करना।**

शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सीबीसीएस पद्धति अनुसार बी.टेक प्रथम वर्ष (I/II सेमेस्टर) में परिवर्तन/संशोधन संबंधी प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर का अनुमोदन किया जाये। (परिशिष्ट -3)

विषय क्र.-31. **फैलोशिप भुगतान के संबंध में।**

विद्यापरिषद् ने अंकित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्र. F.15-1/2012(CU) January 2013 में एम.फिल/पीएच.डी./नॉन नेट फेलोशीप की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तथा प्रावधानों के अंतर्गत 01 वर्ष अतिरिक्त बढ़ाये जाने का निर्देश उक्त पत्र में दिया गया है। उक्त निर्देश को विश्वविद्यालय के परिपत्र कमांक 740/विकास/2015 दिनांक 22.07.2015 के माध्यम से सर्वसंबंधितों को सूचित किया गया। उसके पश्चात भी विश्वविद्यालय के तीन विभाग यथा जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी एवं फार्मेसी विभाग के प्रकरण में 4 वर्ष से अधिक की अवधि के भुगतान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मद से किया गया है।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि :-

1. 4 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन विश्वविद्यालय की आंतरिक प्राप्तियों से किया जाये।
2. किन परिस्थितियों में अधिक अवधि के भुगतान किये गये, इसकी जांच हेतु एक तथ्य परक समिति का गठन किया जाये। समिति के गठन एवं प्रतिवेदन को विद्यापरिषद् की ओर से मान्य किये जाने हेतु अध्यक्ष विद्यापरिषद् को अधिकृत किया जाता है।

विषय क्र.-32. **बी.एड. "स्पेशल एज्यूकेशन" (एच.आई. एवं एल.डी.) के अध्यापन व्यवस्था हेतु पदों के सृजन हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करना।**

समस्त योजनाओं के अंतर्गत शिक्षा विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों, जिन्हें विज्ञापित नहीं किया गया है, उन रिक्त पदों में से ही बी.एड. 'स्पेशल एज्यूकेशन" (एच.आई. एवं एल.डी.) पाठ्यकम की अध्यापन की व्यवस्था की जाये।

इस हेतु उपरोक्त वर्णित पदों के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग द्वारा अधिष्ठाता -कला अध्ययनशाला के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त प्रस्ताव को विद्यापरिषद् के स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्र.-33. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम क्रमांक 13 की कंडिका (IX) के प्रावधानानुसार विद्यापरिषद् द्वारा शैक्षणिक प्रगति एवं विकास का विशेष ज्ञान रखने वाले 5 व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, के सहयोजन पर विचार करना।

विचारोपरांत परिनियम क्रमांक 13 की कंडिका (IX) के प्रावधानानुसार विद्यापरिषद द्वारा शैक्षणिक प्रगति एवं विकास का विशेष ज्ञान रखने वाले 5 व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, के सहयोजन हेतु अध्यक्ष विद्यापरिषद् को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र.-34. विद्यापरिषद की स्थायी समिति में विद्यापरिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से 4 सदस्यों के नामित किये जाने पर विचार करना।

विचारोपरांत विद्यापरिषद की स्थायी समिति में विद्यापरिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से 4 सदस्यों के नामित किये जाने हेतु अध्यक्ष विद्यापरिषद् को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र.-35. शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु प्रचलित पाठ्य विवरणों के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु सीबीसीएस प्रणाली अनुसार कमशः वनस्पतिशास्त्र, नृविज्ञान, फारेंसिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वानिकी, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, प्रबंध अध्ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं समाज कार्य विभागों के अध्ययन मण्डलों द्वारा पाठ्य विवरण के निर्धारण संबंधी की गई अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषय

पूरक वि.क0-01. मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्र श्री प्रिंस जायसवाल की उत्तरपुस्तिका को पुनः मूल्यांकन पश्चात मूल अंक से कम अंक प्राप्त होने पर पुनः मूल्यांकन पश्चात प्राप्त अंक को मान्य किये जाने के संबंध में विचार करना।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि गठित समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यवाही की जाये।

पूरक वि.क0-02. कुलाधिपति पदक संस्थित किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत विनियम (Regulation) अंग्रेजी/हिन्दी रूपांतरित एवं गणना तालिका (Calculation Table) के प्रारूप (Draft) के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद् ने अंकित किया कि समिति द्वारा प्रस्तावित गणना तालिका (Calculation Table) के Component 5 के अंतर्गत अंकों का वितरण स्पष्ट नहीं किया गया है। जिस पर पुनः विचार आवश्यक है।

निर्णय लिया गया कि प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये प्राप्त अनुशंसा अध्यक्ष विद्यापरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि Component 5 के अंतर्गत समिति से प्राप्त विस्तृत अनुशंसा सहित विनियम के प्रारूप को विद्यापरिषद् की ओर से अनुमोदित किये जाने हेतु अध्यक्ष विद्यापरिषद् को अधिकृत किया जाता है।

पूरक वि.क0-03. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉफ्रेंसों/सेमीनारों/सिम्पोजियम/वर्कशाप के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव आयोग को न भेजे जाने के संबंधी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश /सलाह पर विचार करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक F.42-6/2014(CU)दिनांक 14 सितम्बर, 2015 में दिये गये निर्देश/सलाह अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त पत्र के निर्देश अनुसार आवश्यक वित्तीय प्रावधान किये जाने की कार्यवाही की जाये।

पूरक वि.क0-04. **विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (शिक्षा विभाग) द्वारा संचालित बी.एड. विशेष शिक्षा (Special Education (HI & LD)) के एकेडेमिक कैलेण्डर - 2015 के अनुमोदन पर विचार करना।**

विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग के द्वारा 2 वर्षीय बी.एड. विशेष शिक्षा (Special Education (HI & LD)) प्रथम सेमेस्टर 2015-16 हेतु प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर को मान्य किया जाये।

पूरक वि.क0-05. **विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अंतर्गत नवीन शैक्षणिक विभाग प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।**

विद्यापरिषद् ने अंकित किया कि संस्कृत, धर्म एवं दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान नवीन शैक्षणिक विभागों के प्रारंभ किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव के साथ विभाग हेतु अधोसंरचना की रूपरेखा, विभाग के अंतर्गत किन उपाधियों का संचालन किया जाना है तथा शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के विवरण आदि जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही इन विभागों को प्रारंभ किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम नवीन विभागों के प्रारंभ किये जाने संबंधी प्रस्ताव, समस्त मापदण्डों को पूर्ण करते हुए संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता की अनुशंसा सहित प्रस्तुत होने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति/पदों की स्वीकृति तथा पर्याप्त अधोसंरचना पूर्ण होने पर ही नवीन विभाग स्थापित किये जाये।

पूरक वि.क0-06. **अध्ययन मण्डल (Board of Studies) में एक सदस्य संबंधित उद्योग विशेषज्ञ (Expert) के रूप में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव।**

प्राप्त प्रस्ताव को सिद्धांतः अनुमोदित किया गया। अध्ययन मण्डल के गठन की संरचना संबंधी अध्यादेश में संशोधन का प्रस्ताव विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

पूरक वि.क0-07. **विश्वविद्यालय में शोध कार्य में साहित्यिक चोरी रोकने(Anti Plagiarism Tool) की अनिवार्यता संबंधी।**

विद्यापरिषद् ने अंकित किया कि प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्णतः शोध कार्य पर आधारित है। प्रस्ताव अनुसार शोध अध्यादेश में संशोधन आवश्यक है। अतः इस प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही के लिए गठित समिति को प्रेषित किया जाये।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र. 01 पी.एच.डी. उपाधि हेतु शुल्क निर्धारण के लिए गठित समिति की बैठक दिनांक 20.11.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया। प्रतिवेदन की की अनुशंसाओं में 'सेमेस्टर' को विलोपित करते हुए आवश्यक सुधार सहित समिति की पीएच.डी. उपाधि हेतु शुल्क निर्धारण की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया। (परिशिष्ट -4)

अ.अ.वि.क्र. 02 **सी.बी.सी.एस पाठ्यक्रम हेतु प्रचलित अध्यादेश के निर्धारण हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार करना।**

विचारोपरांत सी.बी.सी.एस पाठ्यक्रम, हेतु प्रचलित अध्यादेश के निर्धारण हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं को अंतरिम अध्यादेश के रूप में अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट -5)

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अध्ययनशाला अपना पृथक पृथक अध्यादेश का प्रारूप 3 माह के भीतर निर्धारित कर प्रस्तुत करें। विभिन्न अध्ययनशालाओं से प्राप्त अध्यादेश के प्रारूप को विद्यापरिषद् की स्थायी समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

अ.अ.वि.क्र. 03 **अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 18.11.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।**

विचारोपरांत अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 18.11.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अ.अ.वि.क्र. 04 **विश्वविद्यालय के समकक्षता समिति (Equivalancy Committee) में विद्यापरिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से 01 सदस्य का नामांकन पर विचार करना।**

विश्वविद्यालय की समकक्षता समिति (Equivalancy Committee) में विद्यापरिषद् के सदस्यों में से विद्यापरिषद् की ओर से एक सदस्य के नामांकन हेतु अध्यक्ष विद्यापरिषद् को अधिकृत किया गया।

अ.अ.वि.क्र. 05 **विश्वविद्यालय के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची के निर्धारण के संबंध में विचार करना।**

विद्यापरिषद् ने अंकित किया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन पश्चात विश्वविद्यालय के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का निर्धारण अभी स्पष्ट नियमों के आभाव में नहीं हो पाया है। पूर्ववर्ती राज्य विश्वविद्यालय के समय शिक्षकों की वरिष्ठाता सूची का निर्धारण तत्समय प्रचलित परिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता रहा है। विश्वविद्यालय के दैनदनीय कार्यों के निर्वहन करते समय शिक्षकों की वरिष्ठाता सूची की आवश्यकता समिति के गठन करने हेतु आवश्यक होती है।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि शिक्षकों की वरिष्ठाता सूची के निर्धारण करने के संबंध में एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन करते हुए प्रतिवेदन प्राप्त की जावे समिति के गठन हेतु अध्यक्ष, विद्यापरिषद् को अधिकृत किया जाता है। समिति का प्रतिवेदन विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

अ.अ.वि.क्र. 06 **सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क. F.1-1/ 2015 (Secy) दिनांक 27.10.2015 के संबंध में विचार करना।**

विद्यापरिषद् द्वारा अंकित किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्द्धशासकीय पत्र क. F.1-1/2015 (Secy) दिनांक 27.10.2015 में "राष्ट्रीय अविष्कार

अभियान'' के तहत विद्यार्थियों को उक्त पत्र में वर्णित क्षेत्रों में उनकी रूचि के अनुसार प्रोत्साहित किये जाने हेतु उचित कार्यवाही किये जाने का वर्णन है।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इस संबंध में इस संबंध में संबंधित मार्गदर्शिका के आधार पर विचार करने हेतु एवं की जाने वाली कार्यवाही की अनुशंसा हेतु पूर्व में गठित समिति में 2 अन्य सदस्य क्रमशः (1.) डॉ. पी.पी. मूर्ति, सह आचार्य, गणित विभाग एवं (2.) श्री चक्रधर राव, सह आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग विभाग को भी सहयोजित किया जाये।

अ.अ.वि.क्र. 07 **श्री ब्रजकिशोर भारती, शोद्यार्थी प्रबंध अध्ययन विभाग के शोध छात्रवृत्ति भुगतान के संबंधी प्रकरण पर विचार करना।**

विद्यापरिषद् ने अंकित किया कि प्रबंध अध्ययन विभाग के शोध छात्र श्री ब्रजकिशोर भारती के शोध पंजीयन, छात्रवृत्ति भुगतान आदि संबंधी प्रकरण विगत कई महिनों से लंबित है। समय-समय पर विद्यापरिषद् के स्थायी समिति में भी शोध छात्र के प्रकरण के संदर्भ में चर्चा एवं निर्णय लिये गये हैं। परंतु छात्र का शोध पंजीयन एवं छात्रवृत्ति की भुगतान संबंधी प्रकरण का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। विभागीय शोध समिति द्वारा छात्र श्री ब्रजकिशोर भारती के शोध निदेशक के रूप में प्रो. हरीश कुमार का आबंटन किया जाना निदेशक प्रो. हरीश कुमार को मान्य नहीं होने के कारण छात्र का प्रकरण अभी तक लंबित है।

प्रकरण के संदर्भ में गहन विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में उचित निर्णय लेने हेतु विभागीय शोध समिति ही सक्षम है। अतः इस प्रकरण के निराकरण हेतु पुनः विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि छात्र श्री ब्रजकिशोर भारती के शोध निदेशक बनाये जाने के संबंध में यदि कोई व्यथा हो तो, वे लिखित में विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

अ.अ.वि.क्र. 08 **विश्वविद्यालय छात्र परिषद् 2015 के गठन हेतु विभिन्न श्रेणी/ गतिविधियों से चयनित 20 छात्रों का नामांकन विद्यापरिषद् द्वारा किया जाता है। इस हेतु अध्यक्ष विद्यापरिषद् को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।**

अ.अ.वि.क्र. 09 **विद्यापरिषद् के सदस्यों द्वारा यह ध्यान आकर्षित किया गया कि विद्यापरिषद् के निर्णयों का पालन प्रतिवेदन समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिये। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय लिया गया।**

अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई

27.11.15

(प्रो. अंजिला गुप्ता)
कुलपति/अध्यक्ष

(प्रो. मनीष श्रीवास्तव)
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव